"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2004—कार्तिक 28, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ 3-8/2001/1/एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 दिसंबर, 2003 के तारतम्य में भूतपूर्व मुख्यमंत्री/भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को निम्नानुसार सुविधाएं भी प्रदान की जाती है :—

1. चिकित्सा सुविधा	भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को सांसद/विधायक पद पर पदस्थ रहने पर उस पद की सुविधा प्राप्त होगी. यदि किसी पद पर नहीं है तो छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सालय में नि:शुल्क उपचार के पात्र होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

2. टेलीफोन	टेलीफोन एक (रुपये 5000/- तक प्रतिमाह की पात्रता के साथ देय होगा).
3. बिजली	आवंटित शासकीय आवास में प्रतिमाह रुपये 3,000/- तक का खर्चा देय होगा.
4. सौजन्यता	छ. ग. राज्य के अतिथिगृह/विश्रामगृह में ठहराने की निःशुल्क नियमानुसार पात्रता होगी.
5. रेल यात्रा	यदि रेल यात्रा की किसी अन्य स्रोत से पात्रता नहीं है तो उच्च क्लास की पात्रता देय होगी.

2. प्रस्ताव पर वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 7/वित्त/नियम/चार/2004, दिनांक 21-10-2004 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2004

क्रमांक 2588/1604/2004/1/2 लीव.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 15 के तहत डॉ. ए. जयतिलक, भा.प्र.से. को दिनांक 9-10-2004 से 7-11-2004 तक (30 दिवस) का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में डॉ. जयतिलक, भा.प्र.से. को कोई वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जयतिलक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक ई 7-17/2004/1/2/लीव.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 465/04/1/2/लीव, दिनांक 24-2-2004 द्वारा श्री एस. व्ही. प्रभात, भा. प्र. से. को दिनांक 25-2-04 से 24-5-2004 तक (90 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री प्रभात को दिनांक 25-5-2004 से 11-6-2004 तक (18 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13-6-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री प्रभात को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभात अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक ई 7/21/2004/1/2/लीव.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. को दिनांक 20-9-2004 से 15-10-2004 तक (26 दिन) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19 सितम्बर 2004 एवं 16, 17-10-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक 2596/1658/2004/1/2/लीव.—श्री उजागर सिंह, भा.प्र.से. को दिनांक 18-10-2004 से 23-10-2004 तक (6 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17 एवं 24-10-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उस प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

संशोधन

क्रमांक 1645/बी-6/26/2004/14-2.—राज्य शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4326/कृषि/2001 दिनांक 17-10-2001 "डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार" के नियम-4 को विलोपित कर नया नियम-4 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

4. पुरस्कार संख्या एवं राशि-दो पुरस्कार, प्रत्येक एक लाख रुपये एवं प्रशस्ति पत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5129/3 (बी)/14/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 14, राज्य शासन, कु. श्रद्धा शुक्ला, पिता स्व. श्री एन. डी. शुक्ला को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/1999-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	पाकरटोली	1.989	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना के बायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 270 से 309 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/1999-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	कोरंगा	0.979	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर-2 का उप शाखा नहर-4 के चैन क्र. 34 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/1999-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	कोरंगा	0.727	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना के कोरंगा शाखा नहर -2 के चैन क्र. 0 से 24 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/1999-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	कोरंगा	0.101	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना के कोरंगा शाखा नहर-1 चैन क्र. 4 से 25 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/1999-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	कोरंगा	1.851	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर-2 कोरंगा चैन क्र. 24 से 100 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	कुरूमढोढा प. ह. नं. 28	3.646	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	बेलसूंगा तालाब योजना (उप क्षेत्र) के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	रनपुर प. ह. नं. 27	5.367	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर	बेलसूंगा तालाब योजना (1) रनपुर शाखा नहर चैन क्र. 0 से 90. (2) कुदमुरा शाखा नहर-1 चैन क्र. 0 से 35. (3) कुदमुरा शाखा नहर चैन क्र.0 से 13.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्रमांक 20/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कंचनपुर	1.40	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) क्रमांक-1.	आर. एम. के. के. सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 1/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-चिडोरा, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.473 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1021/1	0.012
	1037	0.121
	1103	0.093
	1104	0.125
	1108/6	0.057
	1108/7	0.065
योग	6	0.473

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनी नहर विस्तार योजना चिडोरा माइनर चैन क्र. 9 से 14 तक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 2/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंगरो, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.535 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	238/1	0.045
	238/2	0.081
	238/3	0.081
	240	0.036
	241	0.194
	301	0.089
	242	0.085
	309	0.016
	293	0.065
	294	0.045
	295	0.077
	300	0.085
	306	0.065
	307	0.016
	308	0.004
	310	0.146
	327	0.036
	328	0.057
	329	0.049
	331	0.073
	332	0.036
	337	0.154
योग	22	1.535

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैन्नी नहर विस्तार योजना चिडोरा माइनर चैन क्र. 51 से 80 तक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 3/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंगरो, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.808 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189	0.121
262	0.024
193	0.178
194	0.016
264	0.024
197	0.057
440	0.024
199	0.045
263	0.016
266	0.085
450	0.012
267	0.040
273	0.138
274	0.077
276	0.061
277	0.040
278	0.040
279	0.045
410/4	0.032
411/1	0.045
655/1	0.061
411/2	0.045
412	0.016
426	0.154
668	0.097

(1)	(2)
428/1	0.028
429	0.040
431	0.008
435	0.113
445	0.061
448	0.077
449/1	0.032
449/2	0.032
449/3	0.36
458	0.032
459	0.032
462	0.057
463	0.097
464/1	0.166
653/1	0.032
653/2	0.032
656	0.049
[illegible]	[illegible]
664	0.105
665	0.109
667	0.028
669	0.117
योग 47	2.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनी नहर विस्तार योजना चिडोरा माइनर चैन क्र. 8 से 84 तक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 4/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कांसाबेल, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.597 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
983	0.437
984/1	0.242
998	1.047
1000/1	0.315
1000/2	0.320
1000/3	0.049
1000/6	0.089
1000/7	0.049
1000/8	0.049
[illegible]	2.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कांसाबेल स्थित निजी भूमि का मुआवजा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 5/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-भादू, प.ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.260 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.089
273/2	0.142
15	0.081
23	0.137
78	0.040
79	0.024
105	0.056
104	0.089
73	0.154
83	0.032
325	0.145
74	0.081
92/2	0.056
103	0.040
234	0.259
236	0.129
257/1	0.303
318	0.020
279	0.081
280/1	0.097
280/2	0.097
281	0.032
311	0.020
319	0.040
709/2	0.243
18	0.259
24	0.121
77	0.141
21	0.048
75	0.133
102	0.154
022	0.073
331	0.129
333	0.040
339	0.222
255	0.129
274	0.081
275	0.061
324	0.154
73/795	0.065
312	0.040
313	0.061
315	0.020
716	0.218
725	0.081
719	0.145
720	0.324
724	0.073
योग	5.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कवई व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 6/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कवई, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.651 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
698/1	0.129
698	0.065
699	0.032
700	0.113
701	0.101
711/5	0.056
712	0.065
805/2	0.283
713/1	0.061

(1)	(2)
935	0.048
858	0.056
870/1	0.056
762	0.271
776/1	0.202
806	0.212
776/2	0.081
798/2	0.239
807	0.170
809	0.202
852	0.065
934	0.174
870/2	0.065
936	0.113
942	0.089
713/2	0.073
730	0.121
758	0.052
761	0.052
733/1	0.056
733/2	[illegible]
869	0.040
759	0.162
944	0.101
योग 33	3.651

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कवई व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 7/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-टटकेला, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
285	0.222
286	0.081
योग 2	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोडकी आर.बी.सी. नहर चैन क्रमांक 464 से 474 तक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[illegible]

क्रमांक 8/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-टांगरगांव, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.513 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.182-0.283

(1)	(2)
3/1	0.186
3/2	0.169
6/2	0.170
6/3	0.049
23	0.129
426	0.040
24	0.506
41/1	0.214
25	0.495
302	0.081
41/2	0.069
228/1	0.032
228/2	0.121
231	0.008
232	0.138
233	0.304
335	0.194
234	0.105
229/2	0.069
354	0.263
236	0.085
239/2	0.040
241	0.073
256	0.138
299/1	0.113
299/7	0.032
299/5	0.065
301	0.016
303	0.024
304	0.040
305	0.053
322/3	0.073
263	0.380
369	0.073
323/1	0.380
325	0.170
334	0.194
344	0.129
597	0.008
375	0.073
376	0.097
377	0.081

(1)	(2)
487	0.105
381	0.057
570	0.040
383	0.154
488	0.134
504	0.146
519	0.089
384/1	0.040
502/1	0.089
384/2	0.057
385	0.036
483	0.105
499/1	0.053
499/2	0.053
499/4	0.049
519	0.024
384/1	0.040
502/1	0.089
595/1	0.073
595/2	0.101
595/8	0.069
601/4	0.032
663	0.065
596	0.016
664	0.049
239/1	0.158
257/1	0.045
257/2	0.024
264	0.073
288	0.049
533	0.020
711	0.073
534	0.089
549	0.036
550	0.020
571/1	0.008
701/2	0.117
725/2	0.028
1015/2	0.065
571/2	0.049
515/1	0.020
725/1	0.073
1014/1	0.028
572/1	0.073
1016/1	0.028
700	0.073
704	0.243

(1)	(2)
724	0.057
726	0.113
707	0.012
708/1	0.061
718/1	0.057
722/1	0.032
719	0.049
738	0.045
1015/1	0.040
1015/2	0.040
1016/3	0.053
1031	0.186
योग 100	9.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसाबेल व्यपवर्तन योजना के ग्राम टांगरगांव के उप शाखा के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 9/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कांसाबेल, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.395 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
182	0.077
203/1	0.138
228/1	0.040
524	0.061
204	0.085
242	0.008
528	0.057
529	0.028
241	0.012
218	0.077
219	0.032
220/2	0.032
220/5	0.024
220/7	0.049
220/1	0.024
220/4	0.040
525	0.016
526/4	0.004
526/3	0.004
526/2	0.004
526/1	0.008
527	0.032
[illegible]	[illegible]
532	0.049
534	0.085
533	0.020
515	0.162
537	0.016
487	0.134
योग 29	1.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसाबेल व्यपवर्तन योजना माइनर चैन क्र. 0 से 55 तक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 11/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-बगीचा
(ग) नगर/ग्राम-रनपुर, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.396 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58	0.101
59/1	0.073
61/1	0.044
61/2	0.040
255	0.040
291	0.283
292	0.182
294	0.012
297	0.190
298	0.061
303	0.004
306/1	0.081
306/2	0.287
331	0.202
337	0.065
341	0.008
342	0.364
356	0.186
357	0.061
359/1	0.065
381	0.186
382	0.138
386	0.267
474	0.016
475	0.206
476	0.267
480	0.202
482	0.081
483	0.101
484/1	0.089
484/2	0.083
484/3	0.016
485	0.069
486	0.243
487	0.049
500/3	0.061
500/4	0.049
500/5	0.049
502	0.049
503	0.129
505	0.130
506	0.057
509	0.101
510	0.202
511	0.154
513	0.020
519	0.057
861	0.020
316/1	0.085
316/2	0.085
299	0.004
307	0.190
317	0.008
348/1	0.032
380	0.008
393	0.182
332/3	0.065
462	0.008
508	0.004
योग 59	6.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलसुंगा जलाशय योजना चैन क्रमांक 45 से 234 तक मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

''प्ररूप-घ''
(नियम 6 देखें)

अधिसूचना

क्रमांक 04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अंर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर को अधिसूचना क्रमांक 275 दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन द्वारा .... भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	कोरबी/22	772/2	0.07
			775	0.27
			778	0.33
			285	0.14
			772/2 क	0.36
			772/2 घ, 772/ङ	0.48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	कोरबी/22	286/10	0.15
			286/8	0.01
			286/1	0.79
			705/8, 705/9, 709/1	0.14
			698/8, 666/1, 683/2 ग	0.90
			705/7	0.07
			776	0.02
			804	0.35
			665	0.06
			772/2 ख/1	0.60
			705/3, 781/2	0.11
			705/2, 781/1	0.16
			777/1	0.33
			286/2	0.44
			779	0.32
			286/3	0.66
			658/10, 669	0.25
			286/4	0.07
			258/11, 664	0.30
			658/2	0.24
			286/5	0.25
			286/6	0.18
			286/7	0.10
			658/14	0.19
			667, 668	0.20
			681	0.03
			684, 685	0.53
			705/1	0.30
			705/4	0.32
			705/6	1.66
			772/3 ख, 780, 782	0.52
			658/21, 666/2	0.08
			671, 672, 676, 677	0.84
			678/2	0.02
			682/2	0.15
			682/3	0.22
			786/1, 786/2, 787/2, 767/3, 787/4, 787/5, 790, 791/1, 792/2	0.41
			682/1	0.02
			675	0.44
			682/4, 796	0.11
		कुल योग		14.19

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

"प्ररूप-घ"

(नियम 6 देखें)

अधिसूचना

क्रमांक 06.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर को अधिसूचना क्रमांक 275 दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन द्वारा .... भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में [illegible] के अधिकार का [illegible]

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	डोंगरी/22	339, 398	1.00
			364/1	0.10
			364/2	0.02
			365/1	0.12
			366/1	0.90
			368	0.15
			369	0.53
			370, 371	0.05
			390/3, 390/4, 390/8	0.70
			390/5	0.08
			390/9	0.08
			391/1	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	डोंगरी/22	391/2	0.04
			391/3	0.03
			391/4	0.20
			391/6	0.12
			392	0.03
			393/1	0.30
			394	0.16
			395	0.16
			396/1, 396/8, 397	0.80
			396/2	0.08
			396/3	0.03
			396/4	0.03
			396/5	0.20
			418/1	0.24
			418/2	0.40
			419/1	0.12
			419/4	0.03
			419/5	0.05
			419/6	0.80
			420/1-3	0.20
			420/2	0.14
			421/1	0.11
			421/2	0.50
			422/1	0.21
			422/2	0.20
			423/1	0.06
			424/1	0.16
			436/1	1.00
			436/2	0.14
			444/3	0.18
			444/4	0.25
			444/9	0.02
			444/10	0.36
			445/1	0.01
			446/1	0.45
			446/2	0.62
			456	0.48
			457	0.10
			458/1	0.12
			458/2	0.60
			459	0.05
			460	0.18
			461	0.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	डोंगरी/22	463	0.15
			464	0.47
			469/6	0.22
			482/1	0.05
			483	0.20
			484	0.71
			485	0.30
		योग	62	16.14

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

"प्ररूप-घ"

(नियम 6 देखें)

अधिसूचना

क्रमांक 09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा को अधिसूचना क्रमांक 275 दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	चारपारा/20	2/1 ज	0.10
			2/1 झ	0.82
			2/1 ड	0.46
			2/1 न	0.32
			2/1 त्र	0.32
			2/1 ज्ञ	0.47
			2/1 ञ	0.75
			2/1 ह	0.15
			2/2 ग, 70/5 ग	0.05
			2/3, 70/2	0.44
			2/4 क	0.14
			2/4 ख, 99/5	0.08
			2/4 ग	0.50
			2/4 घ	0.08
			3/1, 9/1, 10/1	0.31
			3/2, 9/2, 10/2	0.22
			3/3, 9/3, 10/3,	1.20
			70/3	0.12
			71/3	0.42
			70/4	0.40
			70/5 घ	0.35
			70/6	0.50
			70/7	0.12
			71/4	0.32
			72/3	0.15
		कुल योग	25	8.79

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 नवम्बर 2004

"प्ररूप-घ"
(नियम 6 देखें)

अधिसूचना

क्रमांक 2068/अ.वि.अ./2004.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा को अधिसूचना क्रमांक 275 दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सुल्ताननार/20	65/2	0.20
			68/1	0.63
			68/2	0.57
			69/1	0.22
			70/1	0.16
			70/2	0.07
			70/3	0.12
			71/1	0.08
			71/2	0.10
			71/3	0.09
			71/4 क	0.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	सुल्ताननार/20	71/4 ख	0.06
			71/4 ग	0.03
			72	0.72
			73	0.08
			74/3	0.05
			76/2 क	0.30
			76/2 ग	0.20
			76/3	0.70
			81/2	0.03
			82, 83	0.09
			97	0.30
			98/1	0.29
			99	0.04
			100/1	1.39
			100/5	0.10
			109/1	0.62
			109/2	0.60
			109/3	0.08
			109/4	0.02
			109/5, 109/6	0.20
			109/7, 109/8	0.07
			109/9	0.05
			111/2	0.08
			112/2	0.32
			113	0.13
			114, 115/1, 115/2, 116	0.60
			124	0.02
			150, 151, 152, 153/1	0.88
			312/1	0.18
			305/1	0.70
			307, 310	0.03
			309	0.05
			311	0.05
			351/1	1.00
			375/4	0.20
			375/8	0.25
			375/11	0.04
			375/12	0.10
			375/13	0.17
			376/1 क	1.60
			376/2	0.05
			376/5	0.08
			377	0.42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	सुल्ताननार/20	378	0.39
			379	0.40
			380	0.02
			382	0.19
			445	0.05
			446/1	0.04
			446/2	0.07
			448/4	0.10
			456/1	0.20
			456/6	0.50
			463/1-3-6	0.05
			463/2-4-5, 465/2, 465/5, 467/1	0.25
			464, 465/6	0.80
		कुल योग	68	18.47

आर. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी.